अध्यादेश संख्या 2

अधिष्ठाता (डीन) की नियुक्ति, कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

1. संकाय /स्कूल के अधिष्ठाता की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित विभागों के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर की जाएगी।
2. परंतु यदि संकाय में कोई प्रोफेसर नहीं है तो संकाय के एसोसिएट प्रोफेसरों में से किसी को कुछ समय के लिए वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
3. संकाय के अधिष्ठाता का कार्यकाल तीन वर्ष का अथवा उनकी अधिवर्षिता आयु तक, जो भी पहले हो, होगा ।
4. संकाय का अधिष्ठाता संकाय का प्रमुख होगा तथा उसके पास स्कूल बोर्ड की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्ति होगी।
5. संकाय के अधिष्ठाता स्कूल में शिक्षण और शोध के संचालन और स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और वह :

   (क) कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित भत्तों और सुविधाओं के लिए पात्रता रखेगा।

   (ख) संकाय की नीति, पाठ्यचर्या योजना और कार्यान्वयन में प्रभावी नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करेगा ।

   (ग) संकाय के अंतर्गत संपूर्ण समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और परीक्षाओं के संचालन और अंक–पत्र प्रदान करने के कार्य का भी समन्वय करेगा।

   (घ) संकाय के संपूर्ण निष्पादन और अनुशासन के लिए जिम्मेदार होगा ।

   (ड.) संकाय के अंतर्गत सभी भवनों और संपत्तियों के संपूर्ण प्रशासन, समारक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

   (च) संकाय के बजट का प्रचालन करेगा।

   (छ) उनके अधीन रिकॉर्ड, फर्नीचर और उपकरणों के लिए वह जिम्मेवार होगा।

   (ज) संबंधित संकाय की नामावली से विद्यार्थी के नाम को हटा देने और पुनः प्रवेश देने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा।

   (झ) स्कूल के विद्यार्थी को हॉल टिकट वैध कारणों से रोकने के लिए शक्ति संपन्न होगा, और

   (ञ) प्रत्यायोजित अथवा सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।

ORDINANCE NO: 2

APPOINTMENT, FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DEAN

1. The Dean of the School shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the School Concerned by rotation in order of seniority.
2. Provided that if there is no Professor in the school, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Associate Professors in the school by rotation in order of seniority.
3. The tenure of the Dean of the School shall be three years or till he/she attains the age of superannuation, whichever be earlier.
4. The Dean of a School shall be the Head of the School and shall be empowered to convene and chair the meeting of the School Board
5. The Dean of the School shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the School and shall:

   a) be entitled to such allowances and amenities as the Executive Council may approve from time to time.

   b) provide effective leadership and guidance in the policy, curriculum planning and implementation of the School

   c) be responsible for overall coordination within the school and also coordinate the conduct of exams and award of the marks sheet;

   d) be responsible for overall performance and discipline of the school.

e) be responsible for overall administration, upkeep and maintenance of all the buildings and properties under the School

f) operate the Budget of the School.

g) be responsible for the records, furniture and equipment’s under him.

h) be empowered to remove the name from the rolls and readmit a student in the School concerned.

i) be empowered to withhold the Hall Ticket of student of the School for valid reasons. and exercise such other powers and perform such other functions, as may be delegated or assigned to him.